

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां**

**पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 148/2016**

**बउनवान**

श्री धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र काशीलाल जाति धाकड निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारां  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रेस्पोजेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट)

**निर्णय दिनांक 31.07.2019**

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 02/2016 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कोटडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 460/1 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल धनिया/गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 31.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 45/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 31.3.2016 से स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2016 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, छबडा से मूल पत्रावली 09 बार तलब किये जाने के बाद भी प्राप्त नहीं होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का के बयान लिए बिना अपीलांट को

पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अलीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है एवं न ही उस पर काश्त है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि की कभी कोई पैमाइस नहीं की है। अपीलांट को भौतिक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया है। ऐसी कोई पैमाइश रिपोर्ट अथवा बेदखली नामा भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद आवेदन पेश कर दिनांक 30.03.2016 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल धनिया/गेहूँ की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से 9 बार तलब किये जाने के उपरांत भी मूल पत्रावली प्राप्त नहीं होना या नहीं भिजवाया जाना त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा माह अगस्त, 2019 में आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से जाँच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 460/1 की रकबा 3 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नहीं पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारां

